तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **ओखाराम वगैरह बनाम मसरू वगैरह, मुकदमा संख्या :— 21/2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
23.06.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीगण संख्या 1 के पुश्तैनी खातेदारी भूमि मौजा नागेश्वरनगर पांचला में व दुगावा में आई हुई है जिसके खसरा संख्या 382/849, 383, 384, 388, 394 रकबा क्रमशः 0.20, 0.01, 2.27, 2.47, 2.09 जुमले रकबा 7.04 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा यानि 3.52 हैक्टेयर भूमि जो मेरे बंट में आने के बाद मेने उक्त भूमि जो बहुफसली भूमि होने से उसमें कमाई कर पास ही एक अन्य भूमि जिसके पुराने खसरा नंबर 84 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा क्रय की जिसके नये सर्वे के दौरान नये सर्जित नम्बर 387 रकबा 2.33 हैक्टेयर दर्ज हुए जिसमें से कुछ भूमि रास्ते में चली गई थी। शेष रही भूमि 2.33 हैक्टेयर मेरे परिवार की खरीदसुदा भूमि है। यह भूमि मुझ प्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 11.04.1984 को क्रय की थी तब मेरे जायींदा दो पुत्र थे। बड़ा मसरू की उम्र 7 वर्ष व छोटा पुत्र वरधाराम की उम्र करीब साढ़े 5 वर्ष थी तथा गमना, प्रभु व देवा का जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे कुल पांच जाईन्दा पुत्र है जिसमें प्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 व अप्रार्थी संख्या 1 है जो मेरा पुरा परिवार है। जब मैंने भूमि क्रय की तब मसरू जो सात वर्ष का था उसके नाम बैचान रजिस्ट्री करवा दी परन्तु यह भूमि मेरे परिवार के लिए मैंने क्रय की थी जो मेरी पुश्तैनी भूमि से मिली आय से अर्जित की है इसलिए यह भूमि भी मेरी पुश्तैनी भूमि के समान है जिस पर मेरे पूरे परिवार का हक है। मुझ प्रार्थी संख्या 1 की उम्र भी 75 वर्ष से ज्यादा हो गई है तथा अभी कमजोर हो गया हूं इसलिए मैंने आज से करीब 5 वर्ष पूर्व मेरी संपूर्ण भूमि का मेरे पुत्रों में समान रूप से बंटवाड़ा कर सुपुर्द कर दिया है जिसमें मुझे मेरे बाद दादों से मिली 21 बीघा भूमि वरधा, गमना व देवा को सुपुर्द की है तथा यह पुश्तैनी भूमि की आय से खरीद की गई भूमि मसरू व प्रभु को बंटवाड़े में दी है जिस अनुसार वे अलग अलग ढ़ाणी बनाकर निवास कर रहे है तथा मौके पर भूमि अलग अलग कर दी है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 387 रकबा 2.33 हैक्टेयर भूमि पुश्तैनी भूमि की आमदनी से मुझ प्रार्थी संख्या 1 ने परिवार के लिए क्रय कर मसरू के नाम करवायी है जबकि यह भूमि मसरू की स्वअर्जित भूमि नहीं है क्योंकि उस वक्त मसरू की उम्र महज 7 वर्ष थी जो नाबालिग था। जिसकी कोई आमदनी नहीं थी इसलिए उक्त भूमि मुझ प्रार्थी संख्या 1 ने परिवार के लिए खरीद की है तथा उस भूमि में बने रहवासीय घर में गमना, प्रभु व देवा का जन्म हुआ है सभी उसी खेत में बने घर में बड़े हुए है तथा आपसी सहमति से विभाजन भी हुआ है जिसकी लिखित भी दिनांक 25.02.2014 को हुई है जिसमें सभी ने सहमति के अंगूठे हस्ताक्षर किये है जिसमें मुझ ओखा व मसरू के अंगुठे भी है अब इस स्तर पर मसरू उस भूमि को उसके नाम दर्ज होने [illegible] अन्य भाईयों के नाम करवाने व उन्हें हक देने से मना करता [illegible] साथ भारी कानूनी व आर्थिक नुकसान [illegible] आधार बिन्दू प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन [illegible] क्षति के बिन्दू पर गौर किया जाये तो तीनों वाद के आधार पर बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष के है क्योंकि यह भूमि मूझ प्रार्थी सं[illegible] ने पुश्तैनी भूमि की आय से खरीद की है। वह परिवार के लिए खरीद कर मसरू के नाबालिग अवस्था में उसके नाम करवाई है। वह इस भूमि पर सभी पुत्रगण पले, पोषे व बड़े हुए वह उनकी शादियां हुई। यहां तक उनके भी बच्चों का जन्म इस भूमि में हुआ जो मेरे सभी परिवारजनों का हित	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:27:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

इस भूमि में निहित है तथा मसरू की उम्र व क्रय की गई तारीख का मिलान किया जावें तो उस वक्त मसरू की उम्र 7 वष थी इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन हम प्रार्थीगण के पक्ष का है तथा इस भूमि पर मुझ ओखा के परिवारजनों का समान हक है। यदि उनमें से किसी को हक से वंचित किया जाता है तो हमें अपूरणीय क्षति होगी जबकि ऐसी कोई क्षति अप्रार्थी संख्या 1 को होने वाली नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम नागेश्वरनगर के खेत खसरा संख्या 387 रकबा 2.33 हैक्टेयर भूमि मुझे ओखा द्वारा संयुक्त परिवार की पुश्तैनी भूमि की आय से क्रय की है जिसे नाबालिग मसरू के नाम करवाई है जो संयुक्त परिवार के लिए क्रय कर मसरू के नाम करवाई जिसके आधार पर मसरू को उक्त भूमि ताफैसला मूलवाद के निस्तारण तक हस्तान्तरण नहीं करे। मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी मौजा नागेश्वरनगर पटवार हल्का पांचला, तहसील–सांचौर के खेत खसरा नंबर 387 रकबा 2.33 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:27:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner